मु.नं.–24 / 2021 GCMS ID-2021/36 ता.रजु–04.03.2021 (2)

न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

रामेश्वर दयाल पुत्र गोवरधन निवासी मोहन नगर, सैक्टर नं. 4, जिला धौलपुर (राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार नादौती

– प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005

निर्णय

दिनांक–31.03.2021

1. अपीलार्थी को दिनांक 17.03.21, 24.03.21, 31.03.21 को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद उपस्थित नहीं।
2. प्रतिनिधि प्रत्यर्थी उपस्थित।
3. अपीलाण्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रत्यर्थी को आवेदन पत्र प्रेषित कर तहसील नादौती द्वारा दिनांक 01.12.1998 से दिनांक 31.12.1998 तक जारी किये गये अनुसूचित जाति / जनजाति के जाति प्रमाण पत्रों के डिस्पैच रजिस्टर की प्रति चाही गई थी जिसे प्रत्यर्थी द्वारा उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह प्रथम अपील पेश की गई है।
4. प्रत्यर्थी ने पत्रांक–सू.अ.अ. / 2021 / 241 दिनांक 15.03.2021 से अवगत करवाया है कि गुर्जर आरक्षण आंदोलन 2007 के दौरान हुई आगजनी में तहसील नादौती कार्यालय का रिकॉर्ड जल गया था जिस कारण अपीलार्थी को वांछित सूचना प्रेषित किया जाना संभव नहीं है। जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी प्रेषित की गई है। अंत में अपील अपीलाण्ट को खारिज फरमाने का निवेदन किया है।
5. बहस एकपक्षीय सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
6. प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को अपने विनिश्चस से अवगत करवा दिया गया है। गुर्जर आरक्षण आंदोलन 2007 के दौरान हुई आगजनी में रिकॉर्ड जल जाने के कारण अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध करवाया जाना संभव नहीं है। अपीलार्थी को बार–बार अवसर दिये जाने के बावजूद अपीलार्थी उपस्थित नहीं हुआ है और ना ही अन्यथा कोई प्रतिकार अपीलार्थी द्वारा पेश किया गया है जिससे यह विदित होता है कि अपीलार्थी उक्त विनिश्चय से संतुष्ट है।
7. अस्तु अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है।
8. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
9. पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।
10. निर्णय आज दिनांक 31.03.2021 को मेरे द्वारा टंकित करवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर
करौली